

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, कमरा नं० 315, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

E-mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in

Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक : डीसी/ए-3/2020/427

दिनांक : 2/9/2020

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।


अलर्ट नोटिस

विषय:- गम्भीर रूप से घोषित अवमानक औषधि के सम्बन्ध में अलर्ट नोटिस।

राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर (राज०) ने निम्नांकित टेस्ट रिपोर्ट जारी कर निम्न औषधि को उसके सम्मुख अंकित कारण से अवमानक कोटि का घोषित किया है:-

S. No.	Name of Drugs/ Batch No.	T/R No. & Date	Manufactured by (as per lable claim)	Reason
1.	Calcium carbonate with vitamin D3 Tablets (Bonvical), B.No. BVL-01,	1937/2020-2021/DTL/2020 dated 20.08.2020	M/s Cu-V-Kar Genetic Medicines (P) Ltd., # G 63, UPSIDC Industrial Area, Selaqui, Dehradun, Uttarakhand-248001	The sample does not conform to the claim as it does not Contains Vitamin D3 (Nil)

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त के सम्बन्ध पाये गये स्टॉक को जब्त करे एवं अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जांच हेतु लेवें।


औषधि नियंत्रक,


राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 2/9/2020

क्रमांक : डीसी/ए-3/2020/427

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय दवाओं की सूची के संलग्न कर प्रेषित है:-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी०डी०एस०सी०ओ० (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर०एम०एस०सी०एल०, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन०आर०एच०एम०, राज० जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प०क०/आईईसी/एडस/एम०एस०यू०/ई०एस०आई०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर।
6. The Drugs Controllers" Andrapradesh/Gujarat/Himachal Pradesh/Pondicherry/Madhya Pradesh/ Uttrakhand/Assam/ Arunachal Pradesh/Andaman Nicobar/Bihar/Chattisgarh/Daman/Delhi/Dadar & Nagar Haveli/ Maharashtra/ Goa/Haryana/Jammu & Kashmir/Jharkhand/Kerala/Lakshadweep/ Manipur/ Meghalaya/Mizoram/Nagaland/Orissa/Punjab/Sikkim/Tripura/UttarPradesh/West Bengal/Karnataka/ Maharashtra.
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज० जयपुर।
8. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली/संबंधित पत्रावली।


औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर